| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>इंसाफ अली खान बनाम लो.सू.अधिकारी ( जिला रसद अधिकारी जोधपुर )<br>सू.अ.अ.अपील सं0 36/2023 (   ) | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 05.02.24 | अपीलार्थी इन्साफ अली खान पुत्र गफार खां निवासी भाकरी की ढाणी, सिन्धीपुरा, पीपाड़शहर जिला जोधपुर ग्रामीण ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.09.2023. में उसके द्वारा (1) दिनांक 21.06.23 को ग्राम जालुपुरा के अभ्यर्थियों के चयन हेतु अपनाई गइ चयन प्रक्रिया व इसके संबंध जारी आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि देने हेतु जिला कलक्टर जोधपुर के विज्ञप्ति कमांक 2068 दिनांक 28.12.22 के जरिये दिनांक 21.06.23 को ग्राम जालुपुरा हेतु नवसृजित उचित मूल्य दूकान हेतु चयन कमेटी द्वारा की गई सम्पूर्ण चयन प्रकिया की पत्रावली की प्रमाणित प्रति , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( जिला रसद अधिकारी जोधपुर, ग्रामीण ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( जिला रसद अधिकारी जोधपुर, ग्रामीण ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष ( जिला रसद अधिकारी जोधपुर, द्वितीय ) से जरिये पत्रांक 965 दिनांक 19.11..2023 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में प्रतिलिपि शुल्क पोस्टल ऑर्डर जमा करवाया गया जिसके कम में इस कार्यालय के पत्र कमांक 576 दिनांक 26.10.2023 द्वारा अपीलार्थी को देय सूचना डाक के माध्यम से भिजवा दी गई है।<br>चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को प्रेषित हो। को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:16:37 IST
Reason: SelfAttested